5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | Rs.10 INDIA TEN RUPEES | 10 रु. COURT FEE भारत | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES

124

निग- 621- II/16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

गनेश तनय जानकी तिबारी ,

निबासी ग्राम कड़वाहा, तहसील वल्देवगढ, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..................आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह स्वमेव निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के नाम की भूमि स्थित ग्राम कड़वाहा, तहसील वल्देबगढ़, जिला टीकमगढ़ के खसरा कमांक 480/09 रकवा 2.00 हैक्टर को कम्प्यूटर अभिलेख में आवेदक के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी करने वावद प्रस्तुत कर रहा है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के नाम से ग्राम कड़वाहा में स्थित भूमि खसरा नंबर 480/9 रकवा 2.00 हैक्टर भूमि का ब्यवस्थापन, तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के नाम किया गया था तथा नामांतरण पंजी क्मांक 01 दिनांक 25/09/2000 में उपरोक्त रकवे का आवेदक के नाम नामांतरण की प्रविष्टि है। जिसे किसी के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवेदक उपरोक्त भूमि पर काबिज भी है। आवेदक का नाम उपरोत भूमि पर पटवारी अभिलेख में दर्ज भी बर्ष 2000 में दर्ज होकर खसरा नंबर 480/9 हो गया था। आवेदक के पास उपरोक्त रकवा की तहसीलदार द्वारा जारी ऋण पुस्तिका है तथा पूर्व के खसरा में नाम भी दर्ज है।

गनेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R- 621-II/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया , आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता में माध्यम से यह स्वमेव निगरानी, अधिनस्थ तहसीलदार वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के नाम की भूमि, स्थित ग्राम कड़वाहा, तहसील वल्देबगढ़, जिला टीकमगढ़ के खसरा कमांक 480/09 रकवा 2.00 हैक्टर को कम्प्यूटर अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाने का निर्देश जारी करने वावद प्रस्तुत की है। 2— मैंने आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, प्रकरण का संलग्न दस्तावेजों सहित अवलोकन किया गया। आवेदक के नाम से ग्राम कड़वाहा स्थित भूमि खसरा नंबर 480/9 रकवा 2.00 हैक्टर भूमि का नामांतरण, प्रकरण में प्रस्तुत नामांतरण पंजी कमांक 01, दिनांक 27/09/2000 के द्वारा किया गया था। आवेदक का नाम उपरोत भूमि पर बर्ष 2002 से दर्ज है, जिसका खसरा नंबर 480/9 हो गया है। आवेदक के पास भूमि की तहसीलदार द्वारा जारी ऋण पुस्तिका है तथा पूर्व के पटवारी खसरा में नाम भी दर्ज है खसरा की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं। आवेदक का नाम कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उपरोक्त नामांतरण पंजी एवं खसरा से स्पष्ट है कि उसके नाम से विधिवत प्रविष्ट की गई थी। आवेदक की उपरोक्त भूमि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कंप्यूटर में शासकीय लेख कर दी गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था, किन्तु कंप्यूटर में दर्ज नहीं किया गया है। आवेदक की यह स्वमेव निगरानी, स्वीकार कर तहसीलदार वल्देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, आवेदक के नाम उपरोक्त भूमि पर कंप्यूटर अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करें। प्रकरण का परिणम दर्ज कर संचित अभिलेख हो। सदस्य	